Special Secretary Forest

प्र.मु.व.सं. आवक क्र. 197
दिनांक 19/02/14

(7712) ... Addl. PCCF (B/A)
A.P.C.C.F. (Dev./Plan.)
P.C.C.F.

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
—:: आदेश ::—

नया रायपुर, दिनाक 18/02/2014

क्रमांक एफ 2—7/2013/10—2/बजटः राज्य शासन एतद्द्वारा निर्णय लेता है कि वन विभाग के कार्यालयों यथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य औषधिय पादप बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय, राज्य एवं राज्य कैम्पा निधि से संचालित समस्त योजनाओं/कार्यों में मजदूरी का भुगतान बैंक के माध्यम से सीधे ग्रामीणों के खाते में कराया जाएगा । मजदूरी का भुगतान "महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना" (मनरेगा) में अपनाई गई प्रकिया के अनुरूप ही किया जावेगा ।

2/—. राज्य के ऐसे क्षेत्र जहां बैंक की सेवाएं अपर्याप्त हैं, वहां जिले के कलेक्टर एवं वनमंडलाधिकारी द्वारा नगद भुगतान के बाबत् निर्णय लिया जावेगा । नगद भुगतान हेतु निम्नानुसार प्रकिया निर्धारित की जाती है :—

अ. नगद भुगतान हेतु संबंधित वनमण्डलाधिकारी द्वारा सप्ताह का दिन, स्थल एवं समय पूर्व से निर्धारित किया जावेगा एवं इसका पर्याप्त प्रचार—प्रसार किया जावेगा ।

ब. ग्रामीण/मजदूरों के भुगतान हेतु एक भुगतान समिति का गठन किया जावेगा । भुगतान समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे :—

i. ग्राम पंचायत के/सरपंच/वन प्रबंधन समिति का अध्यक्ष ।
ii. ग्राम पंचायत का पंच/वन प्रबंधन समिति का सदस्य, जिसके क्षेत्र में कार्य संचालित हो रहा है ।
iii. क्षेत्र में विद्यमान महिला स्वसहायता समूह के दो सदस्य ।
iv. गांव /पारा/टोला का मुखिया ।
v. कार्य में नियोजित तीन श्रमिक जिनमें से कम से कम एक महिला एवं एक अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो ।
iv. ग्राम में संचालित शाला का प्रधानपाठक/शिक्षक /आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ।

3/— भुगतान प्रकिया का विडियोग्राफी कराया जावे ।

4/— नगद भुगतान की यह अंतरिम व्यवस्था संबंधित क्षेत्र में बैंक सुविधा का उपलब्ध होने पर समाप्त कर दी जाएगी ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

18/2/14

(अमिताभ जैन)
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

and to all concerned.
Budget.
19.2

पृ.क्र एफ 2–7 / 2013 / 10–2 / बजट. नया रायपुर, दिनांक 15/02/2014

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, छ.ग.रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग की ओर उनकी टीप क्रमांक 352 / एन / बजट–2 / वित्त / चार 04–00452 दिनांक 29.07.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित ।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर ।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़ रायपुर ।
6. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर ।
7. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम रायपुर ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य औषधिय पादप बोर्ड रायपुर ।
9. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ ।
10. समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय, वन्यप्राणी एवं कार्य आयोजना), छत्तीसगढ़ ।
11. समस्त जिला कलेक्टर ।
12. समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय एवं कार्य आयोजना), छत्तीसगढ़ ।

की ओर सूचनार्थ। कृपया उपरोक्त आदेश का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जावे ।

13. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर अग्रेषित । कृपया उक्त आदेश को वन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।

विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग